RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २१] सोमवार, ऑगस्ट २९, २०१६/भाद्रपद ७, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक ५ अगस्त २०१६ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. C. BILL No. IV OF 2016.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBERS DISQUALIFICATION ACT, 1986.

विधानपरिषद का विधेयक क्र. ४, सन् २०१६ ।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९८७ का महा. २० ।

क्योंकि इसमें इसके पश्चात् आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र स्थानीक प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के पश्चात् — सन् १९८७ का महा. २० ।

(क) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

" परंतु यदि खण्ड (ख) के अधीन किसी राजनैतिक दल या आघाडी या फ्रन्ट से संबंधित कोई पार्षद या सदस्य निरर्ह होता है तो वह उसकी निरर्हता के दिनांक से, छह वर्षों के लिए पार्षद या सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा : " ;

(ख) विद्यमान परंतुक में, " परंतु " शब्दों के स्थान में, परंतु, शब्दों के स्थान में, " परंतु आगे यह कि " शब्द रखे जाएँगे ।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ३क में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३क उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जाएगी ; और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, —

(क) " धारा ३ के अधीन " शब्दों और अंक के स्थान में, " धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर तथा अंकों को रखा जाएगा ;

(ख) स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

(२) किसी राजनैतिक दल या आघाडी या फ्रन्ट से संबंधित कोई पार्षद या, यथास्थिति, कोई सदस्य जो धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन पार्षद या, यथास्थिति, सदस्य होने के लिए निरर्ह हुआ है तो वह अपनी निरर्हता के दिनांक से प्रारंभ होनेवाली छह वर्षो की कालावधि की अवधि के लिए कोई भी लाभकारी राजनीति पद धारण करने के लिए भी निरर्ह होगा । "।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ७ के, अंत, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परन्तु, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर एक वर्ष के अवधि के भीतर ऐसा निर्णय लेगा । "।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (सन १९८७ का महा. २०) यह स्थानीय प्राधिकरणों में से दल परिवर्तन को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (१), दल परिवर्तन के कारण पर स्थानीय प्राधिकरणों के पार्षद या सदस्य होने के लिए निरर्हता का उपबंध करती है । धारा ३क लाभकारी राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता का उपबंध करती है । उक्त उपबंध दल परिवर्तन से पार्षदों या सदस्यों को निरोध के लिए पर्याप्त तथा प्रभावी नहीं है । उक्त अधिनियम द्वारा आशयित निरर्हता की, प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया गया है कि, यदि किसी राजनैतिक दल, या आघाडी या फ्रंट से संबंधित पार्षद या सदस्य, धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन निरर्ह किया जाता है तो उसकी निरर्हता के दिनांक से छह वर्ष के लिए वह पार्षद या सदस्य होने के लिए निरर्ह होगा । यह भी प्रस्तावित किया गया है कि, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर एक वर्ष की अवधि के भीतर वाद पर निर्णय लेगा । इसलिए, सरकार, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित ५ अगस्त २०१६ ।

पंकजा मुंडे
ग्राम विकास मंत्री।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ५ अगस्त २०१६ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानपरिषद ।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.